



REC Limited | आर ई सी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम) / (A Government of India Enterprise)
Regd. Office: Core-4, SCOPE Complex, 7, Lodhi Road, New Delhi - 110003
Corporate Office: Plot No. I-4, Near IFFCO Chowk Metro Station,
Sector-29, Gurugram - 122001 (Haryana)
Tel: +91 124 444 1300 | Website: www.recindia.nic.in
CIN : L40101DL1969GOI005095 | GST No.: 06AAACR4512R3Z3



SEC-1/187(2)/2023/1123

Dated: February 2, 2023

लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५१	कॉर्पोरेट संबंध विभाग बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फीरोज जीजीभोय टावर्स दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१
स्क्रिप कोड—RECLTD	स्क्रिप कोड—532955
Listing Department, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), <u>Mumbai – 400 051.</u>	Corporate Relationship Department BSE Limited 1 st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, <u>Mumbai – 400 001.</u>
Scrip Code—RECLTD	Scrip Code—532955

Sub: Submission of Newspaper Clipping in respect of Notice of record date for 2nd interim dividend for FY 2022-23 of REC Limited.

In pursuance of Regulations 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, we are forwarding herewith copies of newspaper clippings relating to Notice of record date for 2nd interim dividend for FY 2022-23 of the Company published in 'Business Standard' (English) and 'Business Standard' (Hindi) edition of the newspapers on **Thursday, February 9, 2023.**

This is for information and records of the Stock Exchanges.

Thanking you,

Yours faithfully,

(जे. एस. अमिताभ)
कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव

Encl: As above

बिज़नेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | गुरुवार, 2 फरवरी 2023

आरईसी REC **आरईसी लिमिटेड** (भारत सरकार का महारत्न उद्यम)
सीआईएन: L40101DL1969G01005095 | जीएसटी: 06AAACR4512R3Z3

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दूसरे अंतरिम लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि की सूचना

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) विनियमावली, 2014 के नियम 10 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसरण में, एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी ने सोमवार, 30 जनवरी, 2023 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा घोषित किया गया है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए @ ₹3.25 प्रति इक्विटी शेयर की दर से दूसरे अंतरिम लाभांश के भुगतान के उद्देश्य के लिए शेयरधारकों की पात्रता की गणना हेतु गुरुवार, 9 फरवरी, 2023 को 'रिकॉर्ड तिथि' के रूप में निर्धारित किया है। उक्त अंतरिम लाभांश मंगलवार, 28 फरवरी, 2023 को उन शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा / भेजा जाएगा, जिनके नाम (क) इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में धारित शेयरों के संबंध में गुरुवार, 9 फरवरी, 2023 को कारोबारी समय की समाप्ति पर डिपॉजिटरी(यों) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण (विवरणों) में लाभार्थी स्वामियों के रूप में; तथा (ख) वास्तविक शेयरों के संबंध में गुरुवार, 9 फरवरी, 2023 को सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में दर्ज होंगे।

इसके अतिरिक्त, सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया वे अपनी ई-मेल आईडी को डिपॉजिटरी प्रतिभागी (यों) / रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आर एंड टीए) के पास पंजीकृत / अद्यतन करा लें और वित्तीय वर्ष 2015-16 और बाद के वर्षों के लिए अंतरिम लाभांश से संबंधित भुगतान न की गई / दावा न की गई किसी भी लाभांश राशि का दावा करने के लिए आर एंड टीए अर्थात् मैसर्स केफिन टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड, यूनिट आरईसी, सेलेनियम टॉवर-बी, प्लॉट 31-32, गाचीबोवली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032 टेलीफोन: 91-40-67161500 पर संपर्क करें अथवा einward.ris@kfintech.com / balajireddy.s@kfintech.com / complianceofficer@reci.in पर ई-मेल करें। इसके अलावा निवेशकों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे वित्तीय वर्ष 2014-15 में या इससे पहले अंतिम लाभांश के संबंध में भुगतान न की गई / दावा न की गई राशि, यदि कोई हो तो, का दावा करने के लिए आईईपीएफ प्राधिकरण से संपर्क करें, जो आईईपीएफ को पहले ही अंतरित कर दी गई है।

कृते आरईसी लिमिटेड
ह/-
(जे.एस. अमिताभ)

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 1 फरवरी, 2023 कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

टिप्पणी:- जैसा कि पूर्व में सूचित किया गया था, शेयरधारकों को मिलने वाली लाभांश आय, आयकर के दायरे में शामिल है। तदनुसार, लाभांश का भुगतान करते समय कंपनी द्वारा आयकर अधिनियम 1961 में निर्धारित दरों के अनुसार स्रोत पर की गई कर कटौती (टीडीएस) अपेक्षित होगी। टीडीएस संबंधी प्रावधानों के अनुपालन के लिए शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे वार्षिक आधार पर फॉर्म 15 जी / 15 एच जमा कर दें और अपना वर्तमान आवासीय पता, पैन कार्ड तथा आयकर अधिनियम 1961 के अनुरूप श्रेणी आदि का विवरण अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (प्रतिभागियों) के पास अथवा कंपनी / आर एंड टीए के पास ऊपर दिए गए ई-मेल आईडी पर अद्यतन करा लें।

आरईसी REC **REC Limited** (A Maharatna Government of India Enterprise)
CIN: L40101DL1969G01005095 | GST: 06AAACR4512R3Z3

Notice of record date for 2nd interim dividend for FY 2022-23

Notice is hereby given in pursuance of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 that the Company has fixed **Thursday, February 9, 2023** as the 'Record Date' for reckoning eligibility of shareholders for the purpose of payment of 2nd interim dividend @ ₹3.25 per equity share for the financial year 2022-23, as declared by the Board of Directors in its meeting held on Monday, January 30, 2023. The said interim dividend shall be paid/dispensed on **Tuesday, February 28, 2023** to those shareholders whose names appear (a) as beneficial owners in the statement(s) to be furnished by the Depository(ies) as at the close of business hours on Thursday, February 9, 2023 in respect of shares held in electronic form; and (b) as members in register of members on Thursday, February 9, 2023 in respect of physical shares.

Further, members are requested to register/update their e-mail IDs with depository participant(s)/Registrar & Transfer Agent (R&TA) and contact the R&TA i.e. M/s Kfin Technologies Limited, Unit: REC, Selenium Tower-B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500032 Tel.: 91-40-67161500 or e-mail at einward.ris@kfintech.com / balajireddy.s@kfintech.com / complianceofficer@reci.in for claiming any unpaid/unclaimed dividend amount pertaining to interim dividend for the financial year 2015-16 and thereafter. Further, investors are also advised to approach the IEPF Authority for claiming unpaid/unclaimed amounts, if any, relating to final dividend for financial year 2014-15 or before, which have already been transferred to IEPF.

For REC Limited
Sd/
(J.S. Amitabh)
Executive Director & Company Secretary

Place : Gurugram
Date : February 1, 2023

Note:- As earlier informed, dividend income is taxable in the hands of shareholders. Accordingly, the Company will be required to deduct tax at source (TDS) at the time of making payment of dividend, at the rates prescribed in the Income Tax Act, 1961. To enable compliance with the TDS requirements, shareholders are requested to submit forms 15G/15H on annual basis and update their residential status, PAN, category as per the Income Tax Act, 1961 etc. with their depository participant(s) or with the Company/R&TA at the e-mail IDs mentioned above.

(Handwritten Signature)